

न्यायालय न्यायिक मजि०,घाटमपुर,कानपुर देहात ।

फौजदारी वाद सं. 140 / 16

स्कार

बनाम

गुलजारी आदि ।

धारा 323,336,504 भा०द०सं.

थाना घाटमपुर ,कानपुर नगर ।

आरोप

मै, विजय कुमार, न्यायिक मजि०,घाटमपुर,कानपुर देहात आप अभियुक्तगण गुलजारी, राजकुमार एवं रमपत को एतद द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूं।

1— यह कि दिनांक 31.7.15 को समय करीब 21.00 बजे वहद स्थान मुगलरोड नंदना थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर मे आप लोगो ने वादी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया से साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप ने भा०द०सं. की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा को गाली गलौज कर अपमानित किया । इस प्रकार आप लोगो ने भा द सं की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा को ईटा पत्थर से मार कर दूसरे के जीवन को खतरा हो अपराध कारित किया । इस प्रकार आप लोगो ने भा द सं की धारा 336 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद द्वारा आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगो का विचारण उपरोक्त आरोपो से इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक 11.9..2017

(विजय कुमार),

न्यायिक मजि०,घाटमपुर,

कानपुर देहात।

आरोप पढकर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक 11.9.2017

(विजय कुमार),

न्यायिक मजि०,घाटमपुर,

कानपुर देहात।

